

**मत्स्य कृषक विकास अभिकरण कांगड़ा स्थित पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के
लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015**

भाग—एक

1 प्रारम्भिक

(क) वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, पालमपुर में कार्यरत रहे:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री हमीरचन्द	01.04.2014 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्र०सं०	पैरा सं०	विवरण	राशि
1	6	निर्धारित लक्ष्यों पर व्यय न करने के कारण वर्ष 2014-15 के अन्त में अनुदान की राशि का शेष पाया जाना	30.98
2	8	लाभार्थियों को अनुदान के रूप में दी गई राशि के एवज में रसीदें प्राप्त न करना	0.65

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई।

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा-6	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
2	पैरा-7(3)	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा-4 (i) व (ii)	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई)
2	पैरा-8	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई)
3	पैरा-12	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2014

1	पैरा-3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क)
2	पैरा-4	निर्णीत	(वित्तीय स्थिति पुनः प्रारूपित)
3	पैरा-5	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
4	पैरा-6 (क) (ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा-7	अनिर्णीत	

6	पैरा-8	निर्णीत	(रसीदें देख ली गई हैं)
7	पैरा-9	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
8	पैरा-10	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, पालमपुर के अवधि 4/2014 से 3/2015 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 22.6.2015 से 1.7.2015 के दौरान अभिकरण के पालमपुर कार्यालय में सम्पन्न किया गया। संस्था की आय तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु माह 12/2014 व 3/2015 का चयन किया गया।

यहां यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण अभिकरण के कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये अभिलेख के आधार पर किया गया है। कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रदान की गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना या सूचना प्रदान न करने के लिये, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के अवधि 4/2014 से 3/2015 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000/-आँका गया, जिसे निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 120 दिनांक 1.7.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। संस्था द्वारा अंकेक्षण की इस राशि को बैंक ड्राफ्ट संख्या 560395 दिनांक 13.7.2015 द्वारा प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण पालमपुर द्वारा प्रस्तुत संस्था के वर्ष 2014-15 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति/आय-व्यय विवरण/तुलन पत्र का पूर्ण ब्यौरा इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "A" पर दिया गया है।

5 अनुदान

अभिकरण को वर्ष 2014-15 के दौरान ₹3.55 लाख अनुदान की राशि प्राप्त हुई, जिसका विस्तृत ब्यौरा इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "B" पर दिया गया है।

6 निर्धारित लक्ष्यों पर व्यय न करने के कारण वर्ष 2014-15 के अन्त में अनुदान की ₹30.984 लाख का शेष पाया जाना

परिशिष्ट "B" के अनुसार अभिकरण के पास वर्ष 2014-15 में निर्धारित लक्ष्यों पर व्यय करने हेतु कुल ₹39.750 लाख उपलब्ध थी। इस राशि में से वर्ष 2014-15 के दौरान संस्था द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु केवल ₹8.766 लाख ही व्यय की गई तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में दिनांक 31.3.2015 को ₹30.984 लाख शेष थी। अतः वित्तीय वर्ष के अन्त में कुल राशि का 77.94% शेष रहने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके शेष राशि को स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7 वित्तीय वर्ष 2014-15 में निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति न होना

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण पालमपुर के लिये वित्तीय वर्ष 2014-15 के भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण अभिकरण की शासी निकाय की 23वीं बैठक की मद सं0 5 के अन्तर्गत किया गया। उक्त निर्धारित लक्ष्य तथा अभिकरण द्वारा वर्ष 2014-15 में प्राप्त लक्ष्यों का विवरण परिशिष्ट "C" पर दिया गया है। उक्त परिशिष्ट में दिये गये विवरणों से स्वतः प्रतीत होता है कि अभिकरण द्वारा जिलावार एवं कुल प्रगति के अनुसार निर्धारित भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8 लाभार्थियों को अनुदान के रूप में दी गई ₹65299/- के एवज में रसीदें प्राप्त न करना

अभिकरण द्वारा निम्न प्रकरणों में लाभार्थियों को तालाब सुधार के लिए अनुदान की राशि प्रदान की गई, परन्तु लाभार्थियों से अनुदान की प्राप्ति करके अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई।

क्र0सं0	दिनांक	लाभार्थी का नाम	राशि
1	24.3.15	श्री बलबीर सिंह राणा सुपुत्र श्री दसोंदी राम	1560
2	24.3.15	श्री ओंकार चन्द सुपुत्र श्री रण सिंह	3300
3	24.3.15	श्री रमण सिंह सुपुत्र श्री कमल किशोर	3750
4	24.3.15	श्री कमलेश कुमार सुपुत्र श्री नरैण सिंह	11250
5	24.3.15	श्री यशपाल सुपुत्र श्री मिलखी राम	7125
6	24.3.15	श्री प्रीतम चन्द सुपुत्र श्री पैसू राम	7425
7	24.3.15	श्री जगदीश चन्द सुपुत्र श्री चौधरी राम	1620
8	24.3.15	श्री प्रकाश चन्द सुपुत्र श्री वीरू राम	1125
9	24.3.15	श्री जसवन्त सिंह सुपुत्र श्री वचित्र सिंह	3188

10	24.3.15	श्री कमल पठानिया सुपुत्र श्री प्रेम सिंह	3750
11	24.3.15	श्री बलवन्त सिंह सुपुत्र श्री सुहणू राम	5625
12	24.3.15	श्री राकेश कुमार सुपुत्र श्री केसर सिंह	1181
13	24.3.15	श्री अजित सिंह सुपुत्र श्री रेण सिंह	14400
कुल योग			₹65299

अतः उक्त रसीदें प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 वास्तविक यात्रा कार्यक्रम में प्रस्थान व पहुँचने का समय न दर्शाने बारे

निम्नलिखित यात्रा भत्ता दावों की जाँच करने पर पाया गया कि सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा यात्रा कार्यक्रम में प्रस्थान व पहुँचने का समय नहीं दर्शाया गया है। उक्त के अभाव में यात्रा भत्ता दावे में भुगतान किये गए दैनिक भत्ते की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाये व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाये।

कर्मचारी का नाम	पद नाम	माह	राशि
श्री चैन सिंह	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	12 / 14	500
श्री देस राज	यथोपरि	12 / 14	450
श्री विजय सिंह	यथोपरि	12 / 14	500
श्री लेख राज	यथोपरि	12 / 14	700
यथोपरि	यथोपरि	01 / 15	1000

10 लॉग बुक का प्रस्तुत न करना

अभिकरण द्वारा मै0 चैना राम सन्त राम पालमपुर को वाउचर संख्या 01 माह 3/15 के अन्तर्गत ₹5460/- गाड़ी के पेट्रोल हेतु भुगतान की गई है, परन्तु उक्त व्यय के समर्थन में प्रस्तुत पेट्रोल डलवाने से सम्बन्धित बिलों की गाड़ी की लॉग बुक में प्रविष्टि करने की जाँच नहीं की जा सकी, क्योंकि चालक द्वारा गाड़ी की लॉग बुक प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसे आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11 प्रत्यक्ष सत्यापन

अभिकरण द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान भण्डार की वस्तुओं की प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः भण्डार में पड़ी वस्तुओं की प्रत्यक्ष सत्यापना करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 अखबार रददी की नीलामी न करने बारे

जाँच के दौरान पाया गया कि अभिकरण द्वारा वर्ष 2014-15 में अखबार की खरीद प्रत्येक माह की गई है, परन्तु अखबार की रददी की नीलामी नहीं की गई है। अतः अखबार की रददी की नीलामी शीघ्र करके उससे प्राप्त राशि को इस निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

13 लघु आपत्ति विवरणिका:— यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14 निष्कर्ष:— लेखों के रख-रखाव में और सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता /—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

पृष्ठांकन संख्या: वित्त (ले0प0)मु0(सी)15(14) 181/95 खण्ड-7-6860-6862, दिनांक 23.11.2015,
शिमला-171009

पंजीकृत

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य कृषक अभिकरण कांगड़ा स्थित पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भिजवायें।
2. मुख्य मत्स्य प्रारक्षी, मत्स्य पालन निदेशालय, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0
3. उप सचिव (मत्स्य) हि0प्र0 सरकार, शिमला-2

हस्ता /—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009